संख्या– 356/XIX/अन्नपूर्णा/06–99/2002

प्रेषक,

डा0 रणबीर सिंह,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

वित्त नियंत्रक,
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अनुभागः देहरादूनः दिनॉकः 31 मार्च, 2008

विषयः अन्नपूर्णा योजना के क्रिन्यावयन हेतु वित्तीय वर्ष 2007–08 के लिए धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त नियंत्रक, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के पत्रांक–601/आ0ले0शा0/बजट–अन्नपूर्णा /2007 दिनांक– 04 दिसम्बर, 2007के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्र पोषित अन्नपूर्णा योजना हेतु वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एन0एस0ए0पी0 के अन्तर्गत आवंटित धनराशि में से अन्नपूर्णा योजना हेतु रू0 50.00 (रूपये पचास लाख मात्र) चालू वित्तीय वर्ष 2007–08 में व्यय हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्न शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

2– योजना के सुचारू संचालन/कार्यान्वयन हेतु शासनादेश संख्याः 440/खाद्य/अन्नपूर्णा योजना/2001, दिनांकः 04 अक्टूबर, 2001 द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

3– आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अन्नपूर्णा योजना के जनपदवार संशोधित लाभार्थियों की सूचना वित्त नियंत्रक को उपलब्ध करायेंगे जिसके आधार पर जनपदवार आवंटन किया जायेगा तथा योजना के सम्बन्ध में समय–समय पर भारत सरकार द्वारा निर्गत निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4– स्वीकृत की जा रही धनराशि को व्यय करते समय बजठ मैनुअल, वित्तीय हस्त–पुस्तिका, मितव्ययता के विषय में शासन के आदेश, स्टोर पर्चेज रूल्स, टैण्डर विषयक नियमों का अनुपालन किया जायेगा।

5– व्यय उसी मद में किया जायेगा जिसके लिए यह धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किसी अन्य योजना पर धनराशि का व्यय कदापि नही किया जायेगा।

6– आगामी किस्त का प्रस्ताव भेजे जाने से पूर्व इस धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र एवंम भारत सरकार से प्रतिपूर्ति की गयी धनराशि का भी विवरण शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा। राज्य से उक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र न प्रस्तुत करने का समस्त दायित्व वित्त नियंत्रक, खाद्य एवं जनपद स्तर पर जिला पूर्ति अधिकारी का ही माना जायेगा।

........2........

7– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2007–08 के आय व्ययक के अनुदान संख्या–25 के लेखाशीर्षक 3456–सिविल पूर्ति–00–आयोजनेत्तर–800–अन्य व्यय–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें–01–अन्नपूर्णा योजना–42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

8– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–1639/वित्त विभाग–5/2005, दिनांकः 31 मार्च, 2007 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(डा0 रणबीर सिंह)
सचिव।

संख्या– 356 (1)/XIX/अन्नपूर्णा/06–99/2002, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1 महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी प्रथम, उत्तरांचल, ओबरॉय भवन माजरा, देहरादून।
2. उप सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, एन0एस0ए0पी0 अनुभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. निदेशक, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार (व्यय विभाग) प्लान वित्त–1 प्रभाग, नई दिल्ली।
4. प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तरांचल शासन।
5. सचिव, समाज कल्याण विभाग, उत्तरांचल शासन।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/उधमसिंहनगर।
8. वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबन्धक, भारतीय खाद्य निगम, देहरादून।
9. समस्त संभागीय खाद्य नियंत्रक, उत्तरांचल।
10. समस्त जिला पूर्ति अधिकारी, उत्तरांचल।
11. वरिष्ठ संभागीय वित्त अधिकारी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, हल्द्वानी/देहरादून।
12. समन्वयक, एन0आई0सी0, उत्तरांचल, देहरादून।
13. वित्त अनुभाग–3/नियोजन अनुभाग/समाज कल्याण अनुभाग/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(कुँवर सिंह)
अपर सचिव।

vk/0mo /ku/kn/ cb| vUuiw.kkZ